FAX NO. :01352713388 Mar. 31 2010 04:29PM P6

(2)

संख्या- 1542 /III(2)/09-22(मु0मं0घो0)/2009

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 31 मार्च, 2010

विषयः- वित्तीय वर्ष 2009-10 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से सम्बन्धित 46 नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश सं0: 793/III(2)/09-04(मु0मं0घो0)/2009 दिनाक 02 मार्च, 2009 तथा शासनादेश स0: 2488/III(2)/08-03(मु0मं0घो0)/2008 दिनाक 25 जुलाई, 2008 के द्वारा सलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य हेतु रू0 0.10 लाख के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त शासनदेश के क्रमांक-2 पर उल्लिखित शर्त के क्रम में मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी एवं मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि रू0 15308.27 लाख (रूपये एक सौ तिरेपन करोड आठ लाख सत्ताईस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)

10. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2010 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

11. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

12. उक्त योजनाओं की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2008–09 में उपरिल्लिखित शासनादेश दिनांक 25 जुलाई, 2008 तथा दिनांक 02 मार्च, 2009 के द्वारा निर्गत कर दी गई है, अतः उक्त कार्य चालू कार्य के अन्तर्गत आयेंगे तथा उन पर व्यय सगत मद में निवर्तन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से ही बजट मैनुअल के प्रस्तर–211 का अनुपालन करते हुए किया जाये।

13– शेष सभी शर्तें शासनादेश सं0:– 2488 / III(2) / 08–03(मु0म0घो0) / 2008 दिनांक 25 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश सं0: 793 / III(2) / 09–04(मु0म0घो0) / 2009 दिनांक 02 मार्च, 2009 के अनुसार यथावत रहेंगी और उक्त शासनादेश के द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि को चालू कार्यों से स्वीकृत की जाने वाली धनराशि में समायोजित करते हुए शेष धनराशि निर्गत की जायेगी।

14– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 1152 / XXVII/(2)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या:– (1) / III(2) / 09–22(मु0म0घो0) / 2009 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एव आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल एवं कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी / अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

Imp, Fax dt.

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव

पत्रांक ________ दिनांक 31.3.10.
अधिशासी अभि० प्रा०ख० / नि०ख० पौड़ी, ..., श्रीनगर, थैलीसैंण, बैजरो, दुगड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(हस्ताक्षर)
31.3.10

Attested

(हस्ताक्षर)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बैजरो (पौड़ी गढ़वाल)

शासनादेश सं0 1542/ III(2)/09-22(लो0नि0वि0)/2009 दिनांक 31 मार्च 2010 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	लो0नि0वि0 द्वारा अनुमानित लागत (लाख में)
	02	03	
01	[illegible] में [illegible] से [illegible] मोटर मार्ग का लघु सेतु सहित निर्माण	2.00 + 25 मी0स्पान	333.75
02	जनपद अल्मोड़ा में [illegible]—आशुलका मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	20.00	700.00
03	रिगालिया से टनकपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण (कैलाश सड़क)	53.00 + 1 सेतु (30 — 300 M)	2769.10
04	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड [illegible] के अन्तर्गत [illegible] से [illegible] सिरोंदिया मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	350.00
05	जनपद पौड़ी गढ़वाल में दौला—सिरतौली - [illegible] मोटर मार्ग निर्माण	6.00	210.00
06	जनपद पौड़ी गढ़वाल में खदराली के निकट नन्दाल नदी पर 48 मी0 स्पान के स्टील कॉर सेतु का निर्माण पहुंच मार्ग एवं सुरक्षा कार्य सहित	48 M	128.65
07	जनपद पौड़ी गढ़वाल में [illegible] के अन्तर्गत [illegible]— [illegible]—कण्डोल कोटला तक मोटर मार्ग का विस्तार।	12.00	420.00
08	जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत पाण्डुवाखाल में [illegible] तक मोटर मार्ग का निर्माण	4.00 + 2 सेतु	362.28
09	जनपद [illegible] [illegible] तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.10	41.25
10	[illegible] में [illegible] तक [illegible] निर्माण		[illegible]
11	[illegible] [illegible] तक पैदलमार्ग का निर्माण	300.00 M	16.35
12	जनपद चमोली में पड़ोस—अनसुर—रैतोली— कन्धार मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	257.25
13	जनपद पौड़ी गढ़वाल में [illegible]— [illegible]— [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	105.00
14	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड [illegible] में [illegible] से [illegible] तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	175.00
15	जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत एन0एच0 123 [illegible] से [illegible] तक 1.00 किमी मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	36.75
16	[illegible] [illegible]—[illegible]— [illegible]—[illegible] -[illegible] [illegible]—[illegible]—[illegible] मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00	525.00
17	जनपद अल्मोड़ा में [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण	15.00	525.00
18	जनपद पौड़ी के अन्तर्गत [illegible]—[illegible] मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में	2.10	73.50
19	जनपद अल्मोड़ा में [illegible] चिकित्सालय से [illegible] मन्दिर [illegible] को जोड़ने वाले सड़क मार्ग का निर्माण (मोटर मार्ग)	6.00	210.00
20	[illegible] पुल से [illegible] मोटर मार्ग	5.00	183.75
21	जनपद पौड़ी में [illegible]—[illegible] मोटर मार्ग का [illegible]	27.00	945.00
22	पौड़ी गढ़वाल में [illegible] के अन्तर्गत [illegible] 50 मी0 स्पान के [illegible] पुल का निर्माण	50 मी0	94.11
25	जनपद अल्मोड़ा में [illegible] से [illegible] मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य	13.50	472.50
26	जनपद अल्मोड़ा में [illegible] से [illegible] मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य	5.00	175.00
27	जनपद अल्मोड़ा में [illegible] मोटर मार्ग के अवशेष भाग [illegible]	15.00	335.40

छायाप्रति सत्यापित

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 [illegible]
[illegible] (पौड़ी गढ़वाल)